निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 24/2016
दायरा दिनांक 14.12.2016
निर्णय दिनांक 3.7.2017

उनवान

1. भूलीबाई उर्फ मूली बाई पुत्री नानजी पत्नी श्यामलाल जाति कोली निवासी बल्लूखेडी हाल निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
2. तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. सूरजमल पुत्र धूलिया (पुत्र नानजी) जाति कोली निवासी बल्लूखेडी तहसील छीपाबड़ौद
4. द्वारकीलाल पुत्र धूलिया जाति कोली निवासी बल्लूखेडी
5. मूली बाई पुत्री धूलिया जाति कोली निवासी बल्लूखेडी
6. कन्हैयालाल पुत्र पन्ना जाति कोली निवासी बल्लूखेडी
7. जानकीलाल पुत्र पन्ना जाति कोली निवासी बल्लूखेडी
8. अमरलाल पुत्र पन्ना जाति कोली निवासी बल्लूखेडी
9. रामनाथी पुत्री पन्ना जाति कोली निवासी बल्लूखेडी तहसील छीपाबड़ौद
10. शाखा प्रबन्धक बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा छीपाबड़ौद
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौद शाखा छीपाबड़ौद
12. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा छीपाबड़ौद
13. रामचन्दी बाई पुत्री नानजी पत्नी अमरलाल जाति कोली निवासी बल्लूखेडी हॉल निवासी छबड़ा टोडी मोहल्ला छबड़ा।

अपीलइन्तकाल नंबर 142 दिनांक 25.03.1988
निर्णय दिनांक 3.7.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री दीनदयाल कुशवाह अपीलान्ट
2. श्री बृजमोहन मालव रेस्पो0

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 142 दिनांक 25.03.198 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय की पेश की गई की आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 09.0 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 9 बीघा, खसरा नंबर 166 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 167 रकबा 11

Scanned by CamScanner

बिस्वा, खसरा नंबर 195 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 252 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 253 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नंबर 254 रकबा 1.10 बीघा, कुल किता 8 रकबा 22.14 बीघा मौजा बल्लूखेडी मे स्थित है। उक्त आराजी मुताबिक जमाबन्दी पन्नालाल पुत्र कवरिया, नानजी पुत्र मिटठू , धूलिय पुत्र मोहन कोम कोली सा. देह हिस्सा बराबर दर्ज जमाबन्दी थी। उक्त आराजी मे मुताबिक जमाबन्दी अपीलान्ट के पिता श्री नानजी का 1/3 हिस्सा दर्ज था। अपीलान्ट के पिता नानजी का स्वर्गवास होने पर उनका फोती इन्तकाल संख्या 142 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 3 के पक्ष मे निर्णित किया गया है, जो निरस्तनिय है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से इन्तकाल नंबर 142 निर्णित किया गया है। रेस्पोडेन्ट नंबर 3 का अपीलान्ट के पिता नानजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नंबर 3 को अपीलान्ट के पिता नानजी का पुत्र बताकर इन्तकाल निर्णित किया गया है, जो काबिल खारिजी है। अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहीन पन्नी बाई रामचन्दी बाई मृतक श्री नानजी की जायज वारिसान होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नंबर 3 ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से मिलीभगत करके विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट व उसकी बहिन पन्नीबाई, रामचन्दी बाई मृतक नानजी की पुत्रिया होने के बावजूद भी उसका नाम दर्ज नही करवाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसलिए उक्त इन्तकाल कतई फर्जी होने से निरस्तनिय है। रेस्पोडेन्ट नंबर 3 द्वारा अपीलान्ट की आराजीयात को विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट नंबर 12 के यहां बन्द कर रख कर ऋण प्राप्त कर लिया है। रेस्पोडेन्ट नंबर 3 धूलिया पुत्र मोहन का वारिस है, तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी उसका नाम धूलिया के वारिसान के रूप मे दर्ज हो रहा है। अपीलान्ट की बहिन पन्नी बाई का स्वर्गवास हो जाने से मृतक नानजी की अपीलान्ट की वारिस व उत्राधिकारी शेष रही है। इसलिय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 13 मृतक नानजी का अपने नाम दुबारा फोती इन्तकाल खुलवाने की कानूनी अधिकारी है। उक्त इन्तकाल नंबर 142 दिनांक 25.03.1988 का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 23.11.2016 को जब अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर हुआ। अपीलान्ट ने उसी दिन पटवारी हल्का से इन्तकाल नंबर 142 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। जिस पर दिनांक 23.11.2016 को अपीलान्ट को इन्तकाल की नकले प्राप्त हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधी मध्य स्वीकार फरमायी जावें। तथा अपील की प्रस्तुती में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियिम के अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नंबर 3, 7 व 12 की ओर से जवाब पेश हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल इन्तकाल नंबर 142 दिनांक 25.03.1988 ग्राम बल्लूखेडी, नकल जमाबन्दी ग्राम बल्लूखेडी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 37, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 खाता संख्या 47, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2047–50 खाता संख्या 43, नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 खाता संख्या 24 पेश की गई। इकरार नामा दिनांक 18.01.2017 सूरजमल पुत्र धूलिया पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से छीतरलाल एवं रामचन्द्री बाई व गिर्राज का शपथ–पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट का कथन है, कि ग्राम बल्लूखेडी मे आराजी 8 किता रकबा 22.14 बीघा भूमि स्थित है, जो पन्नालाल पुत्र कवरिया, नानजी पुत्र मिटठू, धूलिया पुत्र मोहन के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता नानजी जिसकी हम तीन

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

हमने उसी समय से ही सूरजमल को अपना भाई मान लिया था। गिर्राज ने अपने शपथ–पत्र मे बताया कि मेरे नाना जी नानजी राम ने सूरजमल को उनकी नाबालिक अवस्था में अपना दत्तक पुत्र मानकर गोद लिया था। मुझे व मेरी मौसीयों को मामा सूरजमल ही मानता है, तथा हमे तीज त्यौहार पर मानता है। हम सभी सगे भाई–बहिनो की तरह रहते है। मामा सूरजमल को मैने व मेरी सभी मौसियो की सहमति से गोद रखा था। तभी से मेरी मौसीयों ने मामा सूरजमल को भाई मान लिया था। प्रस्तुत शपथ–पत्र रामचन्द्रीबाई व गिर्राज एवं इकरार नामा सूरजमल से यह साबित होता है, कि सूरजमल द्वारा प्रस्तुत इकरार नामा से तीनो बहिनो को भूमि देने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है, तथा रामचन्द्री व गिर्राज का यह कहना है, कि सूरजमल को नानजी द्वारा गोद पुत्र रखा था, परन्तु सूरजमल द्वारा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 ता 9 व 13 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या गोदनामा पेश नही किया, जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पोडेन्ट नंबर 3 सूरजमल को गोद पुत्र रखा था। गोद पुत्र साबित करने में रेस्पोडेन्ट विफल रहे है। इन्तकाल नंबर 142 मृतक नानजी का फोती इन्तकाल खोला गया है, जिसमे एक मात्र पुत्र सूरजमल को बताया गया है, जबकि नानजी राम की जायज वारिस 3 पुत्रिया भी मौजूद थी, जिनका नामान्तकरण नंबर 142 मे कोई उल्लेख नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 142 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नंबर 14 दिनांक 25.03.1988 ग्राम बल्लूखेडी निरस्त किया जाता है। तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित कि जाता है, कि मृतक नानजीराम के जायज वारिसो की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद (राज.)

Scanned by CamScanner